[2022] 6 एस. सी. आर 989

मेकला सिवैयाह

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

(2013 की आपराधिक अपील संख्या 2016)

15 जुलाई, 2022

[न्यायमूर्तिगण दिनेश माहेश्वरी और कृष्णा मुरारी**]**

दंड संहिता, 1860:धारा. 303-हत्या-पिछली रंजिश के कारण, चाकू से लैस आरोपी ने किसान की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़का और उसकी छाती और पेट पर चाकू से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई।302 और अवर न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा-हस्तक्षेप-आयोजितःनहीं माँगा गया-तथ्यों और चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य सामग्री की सराहना पर, अवर न्यायालयों ने अभियुक्त को अपराध के लिए सही तरीके से दोषी ठहराया।302.

भारत का संविधानःअनुच्छेद 136-हस्तक्षेप का दायरा-आयोजितःइस न्यायालय की यह जांच करने के उद्देश्य से साक्ष्य की पुनः सराहना करने की प्रथा नहीं है कि क्या विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से प्राप्त तथ्य का निष्कर्ष सही है या नहीं-यह केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में है जहां कुछ स्पष्ट अवैधता है या भौतिक साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ने या अनदेखा करने के कारण न्याय का गंभीर और गंभीर गर्भपात होता है, कि यह न्यायालय तथ्य के इस तरह के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करेगा-आम तौर पर, उच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है और यह न्यायालय केवल विशेष अधिकार क्षेत्र का न्यायालय है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा**,**

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** भारत के संविधान का अनुच्छेद **136** एक असाधारण अधिकारिता है जिसका प्रयोग यह न्यायालय तब करता है जब वह विशेष अनुमति द्वारा किसी अपील पर विचार करता है और यह अधिकारिता**,** अपनी प्रकृति से**,** केवल तभी प्रयोग की जा सकती है जब यह न्यायालय संतुष्ट हो कि न्याय की गंभीर क्षति को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक है।अनुच्छेद **136** को व्यापक शब्दों में वर्णित किया गया है और उक्त अनुच्छेद के तहत प्रदत्त शक्तियां किसी भी तकनीकी बाधाओं से सुरक्षित नहीं हैं।हालाँकि**,** इस सर्वोपरि और असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम से और केवल इसे आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। न्याय का कारण।इस प्रकार**,** जब अपील के तहत निर्णय के परिणामस्वरूप कुछ गलतफहमी या साक्ष्य के गलत अध्ययन या भौतिक साक्ष्य की अनदेखी करके न्याय की गंभीर विफलता हुई है**,** तो यह न्यायालय न केवल सशक्त है**,** बल्कि न्याय के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप करने की अच्छी तरह से उम्मीद की जाती है।इस न्यायालय की यह प्रथा नहीं

है कि वह इस बात की जांच करने के उद्देश्य से साक्ष्य की फिर से सराहना करे कि क्या नीचे दिए अवर न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से प्राप्त तथ्य का निष्कर्ष सही है या नहीं।यह केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में है जहां भौतिक साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ने या अनदेखा करने के कारण न्याय की कुछ स्पष्ट अवैधता या गंभीर और गंभीर गर्भपात होता है, कि यह न्यायालय तथ्य के इस तरह के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करेगा।यह न्यायालय प्रत्येक आपराधिक मामले में नियमित अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है।आम तौर पर, उच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय होता है और यह न्यायालय केवल विशेष अधिकार क्षेत्र का न्यायालय होता है।**[**पैरा **14-16,18] [994-G-H; 995-A-C; 996-B]**

सूबेदार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1970) 2 एस. सी. सी. 445:[1971]

1 एस**.** सी**.** आर**. 826;** भारवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम राज्य

गुजरात (1983) 3 एस. सी. सी. 217:[1983] 3 एससीआर 280;

दलबीर कौर और अन्य बनामपंजाब राज्य **(1976) 4** एससीसी **158:[1977] 1** एस**.** सी**.** आर**. 280;** पप्पु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

(2022) एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 176-**संदर्भित।

2.1 अपीलार्थी द्वारा की गई दलीलें अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के संबंध में कमजोर पक्ष पर हैं क्योंकि यह तर्क दिया गया है कि पीडब्लू**-1** से पीडब्लू**-4** तेलुगु देशम पार्टी के समर्थक हैं और उनके साक्ष्य मृतक को लगी चोटों की प्रकृति, घटना स्थल आदि के संबंध में विरोधाभासी थे। आपराधिक मुकदमे में गवाह की गवाही को केवल मामूली विरोधाभासों या चूक के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **22] [998-**ई**-**एफ**]**

नारायण चेतनराम चौधरी और अन्र बनामकी स्थिति महाराष्ट्र **(2000) 8** एससीसी **457: [2000] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 104;** मध्य प्रदेश राज्य बनाम रमेश **(2011) 4** एस**.** सी**.** सी**. 786:[2011] 5** एस**.** सी**.** आर**. 1-**निर्भर।

2.2 निचली विचारण न्यायालय के साथ**-**साथ उच्च न्यायालय ने तत्काल मामले के तथ्यों और साक्ष्यों का विश्लेषण किया और यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के अपराध को साबित करने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। उचित संदेह।जब चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्ट पर्याप्त नेत्र साक्ष्य होता है, तो अपीलार्थी से हथियार की केवल गैर**-**प्राप्ति अभियोजन पक्ष के मामले को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करेगी।यदि किसी चश्मदीद गवाह की गवाही अन्यथा भरोसेमंद और विश्वसनीय पाई जाती है, तो उसे केवल इसलिए अस्वीकार और अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसकी गवाही में कुछ महत्वहीन, सामान्य या प्राकृतिक विरोधाभास सामने आए हैं।अपीलार्थी द्वारा मृतक पर दिन के उजाले में हमला किया गया है और इसे साबित करने के लिए प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध हैं और हमले के पीछे का मकसद भी स्पष्ट है क्योंकि अपीलार्थी और पीडब्लू**-1** के बीच पिछली दुश्मनी थी।**[**पैरा **24] [999-**डी**-**जी**]**

2.3 तत्काल मामले के तथ्यों पर विचार करने और चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य सामग्री की सराहना करने के बाद**,** निचली विचारण न्यायालय के साथ**-**साथ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **307** के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने में सही थे। इसलिए**,** निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।**[**पैरा **25] [999-**एच**; 1000-**ए**-**बी**]**

संदर्भित निर्णय

[1971] 1 एससीआर **826** संदर्भित किया गया है पैरा **17**

[1983] 3 एससीआर **280** संदर्भित किया गया है पैरा **18**

[1977] 1 एससीआर **280** संदर्भित किया गया है पैरा **19**

[2000] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 104** पर निर्भर पैरा **22**

[2011] 5 एससीआर **1** पर भरोसा किया गया **|** पैरा **23**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2013 की आपराधिक अपील सं. 2016।

सी. आर. एल. में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.06.2012 से। 2008 की अपील सं. 811।

रवींद्र एस. गरिया, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

महफूज़ ए. नाज़की, पोलंकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ़, टी. विजय भास्कर रेड्डी, के. वी. गिरीश चौधरी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय कृष्णा मुरारी**,** जे द्वारा दिया गया था

1. अपीलार्थी ने आपराधिक अपील में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित (इसके बाद 'उच्च न्यायालय' के रूप में संदर्भित) दिनांक 2 के निर्णय और आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है और गुंटूर में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा पारित (इसके बाद 'ट्रायल कोर्ट' के रूप में संदर्भित) दिनांक 3 के फैसले को बरकरार रखा है, जिसके तहत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी दिया गया था। 500/- और चूक में तीन महीने के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. संक्षेप में, इस अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैंः

06.09.2006 को मृतक (पीडब्लू-1 के पिता) और पीडब्लू-1 अपनी सब्जियां बेचने के लिए लेमल्ले गांव के 14 वें मील के केंद्र में गए।जब पीडब्लू-1 सब्जियों का वजन करा रहा था, तब मृतक सड़क पार करके पीडब्लू-3 की दुकान पर तंबाकू के पत्ते खरीदने गया।पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 भी घटना स्थल पर मौजूद थे।मृतक को देखकर, अपीलार्थी , चाकू से लैस, पीडब्लू-3 की दुकान पर आया और मृतक की आँखों में मिर्च पाउडर छिड़का, और उसकी छाती और पेट पर चाकू मार दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।अपीलार्थी पी. डब्ल्यू.-1 से 4 देखने के बाद तुरंत मौके से भाग गया।मृतक को अमरावती के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

3. पीडब्लू-1 द्वारा दी गई उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर, पीडब्लू-7 ने आई. पी. सी. की धारा 305 के तहत दंडनीय अपराध के लिए थाना अमरावती में प्राथमिकी संख्या 120/2006 दिनांक 06.09.2006 के रूप में मामला दर्ज किया। इसके बाद, पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 ने घटना स्थल का दौरा किया, मृतक के शव की जांच की, चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की, अपीलार्थी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।आई. डी. 1 पर आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत आरोप तय किए गए और अपीलार्थी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

4. मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों से पूछताछ की और बचाव पक्ष द्वारा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

पीडब्लू-1:मधिरापल्ली श्रीनिवास राव, मृतक पीडब्लू-2 का बेटाःशैक चीन जॉन

पीडब्लू-3:तंबाकू की दुकान पीडब्लू-4 के मालिक शेख सुभानीःकोववुरी वेंकटेश्वर राव, मृतक के साथ उसी गाँव के रहने वाले हैं।

पीडब्लू-5:डॉ. जी. पीटर पॉल, जिन्होंने 07.09.2006 पर पोस्टमॉर्टम किया।

पीडब्लू-6:कलापाला वेंकैया, एंड्रोल गाँव के पंचायत सचिव।

पीडब्लू-7:आई. गोविंदराजुलु, पुलिस उप-निरीक्षक, जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो।

पीडब्लू-8:टी. रवींद्र बाबू, पुलिस निरीक्षक।

पीडब्लू-9:के. जगदीश्वर रेड्डी, पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर।5. विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान का विश्लेषण करने के बाद, निर्णय और दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

6. पीड़ित होते हुए, अपीलार्थी ने निचली अदालत के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष 2008 की आपराधिक अपील संख्या 811 दायर की। आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय

के फैसले की पुष्टि की और कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले में कोई संदेह नहीं है और इसलिए, अभियोजन पक्ष ने आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए आरोपी के अपराध को साबित करने में अपने बोझ को उचित संदेह से परे कर दिया है।

7. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवींद्र एस. गरिया और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महफूज़ ए. नाज़की को सुना है।

8. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री रवींद्र एस. गरिया ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि अपराध करने में अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल किया गया हथियार (चाकू) पुलिस द्वारा जब्त नहीं किया गया था और उक्त हथियार को जब्त न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष एफ. आई. आर. के लेखक से पूछताछ करने में विफल रहे और न्यायालय में एफ. आई. आर. भेजने में देरी हुई।

9. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि घटना के स्थान पर चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति परिस्थितियों में बहुत संदिग्ध और अविश्वसनीय है और आगे अविश्वसनीय हो जाती है क्योंकि अभियोजन पक्ष के मामले के बावजूद कोई भी तथाकथित चश्मदीद गवाह अपराध के हथियार का वर्णन करने में सक्षम नहीं है कि अपीलार्थी को भीड़ ने पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी वह भागने में कामयाब रहा।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि जाँच रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कथित चश्मदीद गवाहों ने केवल अपीलार्थी के संबंध में अपना संदेह व्यक्त किया कि पिछली शत्रुता के कारण अपीलार्थी ने पीड़ित की हत्या की होगी और यह दर्शाता है कि उन्हें केवल संदेह था और वे घटना के गवाह नहीं थे।

10. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष के मामले का झूठ और पैर में इतनी गंभीर चोट के लिए उपचार प्राप्त करने की पृष्ठभूमि में अपीलार्थी के भागने का सिद्धांत कि वह श्रम कार्य करने के लिए अमान्य हो गया था और तुरंत पिछले छह महीनों से उपचार प्राप्त कर रहा था, अपीलार्थी के खिलाफ मामले को बेहद संदिग्ध बनाता है।

11. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री महफूज ए. नाज़की ने अभिलेख पर सामग्री के संदर्भ में अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा का विधिवत समर्थन किया है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि साक्ष्य की पूरी तरह से सराहना के बाद विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने की आवश्यकता है।दोषसिद्धि को वापस लेने के लिए कोई आधार नहीं बनाए गए हैं।

12. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी की दोषसिद्धि चार चश्मदीद गवाहों की गवाही पर आधारित है और यह बिल्कुल सुसंगत और विश्वसनीय है।

13. हमने बार में की गई प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

14. उठाए गए विवाद के गुण-दोष पर जोर देने से पहले, यह दोहराना महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 एक असाधारण अधिकार क्षेत्र है जिसका प्रयोग यह न्यायालय विशेष अनुमति द्वारा अपील स्वीकार करने पर करता है और यह अधिकार क्षेत्र, अपनी प्रकृति से, केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब यह न्यायालय संतुष्ट हो कि न्याय की गंभीर या गंभीर विफलता को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक है।

15. यह न्यायिक घोषणा द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुच्छेद 136 व्यापक शब्दों में लिखा गया है और उक्त अनुच्छेद के तहत प्रदत्त शक्तियां किसी भी तकनीकी बाधाओं से सुरक्षित नहीं हैं।हालाँकि, इस सर्वोपरि और असाधारण शक्ति का उपयोग संयम से और केवल न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना है।इस प्रकार, जब अपील के तहत निर्णय के परिणामस्वरूप कुछ गलतफहमी या साक्ष्य के गलत अध्ययन या भौतिक साक्ष्य की अनदेखी करके न्याय की गंभीर विफलता हुई है, तो यह न्यायालय न केवल सशक्त है, बल्कि न्याय के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप करने की अच्छी तरह से उम्मीद की जाती है।

16. इस न्यायालय की प्रथा यह जांचने के उद्देश्य से साक्ष्य की पुनः सराहना करने की नहीं है कि क्या विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से प्राप्त तथ्य का निष्कर्ष सही है या नहीं।यह केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में है जहां भौतिक साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ने या अनदेखा करने के कारण न्याय की कुछ स्पष्ट अवैधता या गंभीर क्षति होता है, कि यह न्यायालय तथ्य के इस तरह के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करेगा।

17. दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है।

सूबेदार बनाम के मामले में इस न्यायालय का। यू. पी. 1 का राज्य जिसमें यह

न्यायालय, साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के आधार पर समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप की गुंजाइश पर विचार करते हुए, निम्नानुसार टिप्पणी करता हैः-

“यह न्यायालय निस्संदेह आम तौर पर अनुच्छेद 136 के तहत अपीलों की सुनवाई करते समय आपराधिक मामलों में साक्ष्य की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है।लेकिन जब अपील के तहत निर्णय के परिणामस्वरूप साक्ष्य को पढ़ने में या भौतिक साक्ष्य की अनदेखी करने में कुछ गलतफहमी या गलती से न्याय का गंभीर गर्भपात हो जाता है-तो यह न्यायालय न केवल सशक्त होता है, बल्कि न्याय के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप करने की अपेक्षा करता है।”

18. भारवाड़ा में भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य 2,

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि यह न्यायालय तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि यह स्थापित न हो जाएः

आई. कि निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है; या

ii.कि निष्कर्ष विकृत है, यह ऐसा है कि कोई भी उचित व्यक्ति इस पर नहीं पहुंच सकता है, भले ही साक्ष्य को उसके अंकित मूल्य पर लिया गया हो; या

1 (1970) 2 एससीसी 445 2 (1983) 3 एससीसी 217

iii.निष्कर्ष अस्वीकार्य साक्ष्य पर आधारित और निर्मित है जो साक्ष्य, दृष्टि से बाहर रखा गया है, अभियोजन मामले को नकार देगा या इसे काफी हद तक बदनाम या बाधित करेगा, या

iv.कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो संतुलन को दोषी के पक्ष में झुकाते हैं, उनकी अनदेखी की गई है, या गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है।

यह न्यायालय प्रत्येक आपराधिक मामले में नियमित अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है।आम तौर पर, उच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय होता है और यह न्यायालय केवल विशेष अधिकार क्षेत्र का न्यायालय होता है।इसलिए यह न्यायालय निष्कर्षों की शुद्धता निर्धारित करने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा जब तक कि ऐसी असाधारण परिस्थितियां न हों जहां स्पष्ट अवैधता या गंभीर और न्याय की गंभीर विफलता हो, उदाहरण के लिए, कानूनी प्रक्रिया के रूपों की अवहेलना की जाती है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है या पर्याप्त और गंभीर अन्याय अन्यथा हुआ है।19. विशेष अवकाश के माध्यम से आपराधिक अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को आगे बताया गया था

दलबीर कौर और अन्य। बनाम पंजाब राज्य **3** निम्नानुसारः**-**

“(1) कि यह न्यायालय साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगा, भले ही वह साक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण ले; (2) कि न्यायालय सामान्य रूप से साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन या समीक्षा नहीं करेगा, जब तक कि उच्च न्यायालय का मूल्यांकन कानून या प्रक्रिया की त्रुटि से दूषित न हो या रिकॉर्ड की त्रुटि, साक्ष्य के गलत पढ़ने या साक्ष्य के साथ असंगत न हो, उदाहरण के लिए, जहां नेत्र संबंधी साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत है और इसी तरह;

(3) कि न्यायालय उच्च न्यायालय की राय के स्थान पर अपनी राय रखने की दृष्टि से साक्ष्य की विश्वसनीयता में प्रवेश नहीं करेगा;

(4) कि न्यायालय हस्तक्षेप करेगा जहाँ उच्च न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या निष्पक्ष सुनवाई की अवहेलना करते हुए तथ्य के निष्कर्ष पर पहुँच गया है या अनिवार्य का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है।

3 (1976) 4 एससीसी 158 ए

अभियुक्त के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय के परिणामस्वरूप कानून या प्रक्रिया का प्रावधान;

(5) यह न्यायालय वहां भी हस्तक्षेप कर सकता है जहां सिद्ध तथ्यों पर कानून के गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं और बिना किसी सबूत के आधारित हैं।"

20. अनुच्छेद 136 के तहत अपीलों का दायरा और विस्तार इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पप्पु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 4 में विस्तृत रूप से व्यक्त किया गया है। हममें से एक (माननीय दिनेश माहेश्वरी, जे.) द्वारा इस मुद्दे पर कई फैसलों पर ध्यान देने के बाद, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दियाः-

"101. ऊपर जो देखा गया है, उसके सारांश में, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी भी निर्णय/अंतिम आदेश या सजा के खिलाफ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 और 1970 के अधिनियम की धारा 2 में निर्दिष्ट संभावनाओं के संबंध में इस न्यायालय में नियमित अपील की परिकल्पना की गई है।वर्तमान मामला इसके अंतर्गत नहीं आता है और वर्तमान अपीलें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के संदर्भ में विशेष अनुमति द्वारा की जाती हैं।विशेष अनुमति द्वारा ऐसी अपील में, जहां विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की सराहना के बाद तथ्य के निष्कर्षों को समवर्ती रूप से वापस कर दिया है, तथ्य के प्रत्येक निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी जा सकती है और न ही ऐसी अपील को साक्ष्य की पुनः प्रशंसा के लिए किसी अन्य मंच के रूप में निपटाया जा सकता है।निस्सन्देह, यदि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्धारण को कानून या प्रक्रिया की किसी त्रुटि या साक्ष्य के गलत अध्ययन या न्यायिक प्रक्रिया के मानदंडों की अवहेलना से दूषित कहा जा सकता है, जिससे गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय हो सकता है, तो यह न्यायालय, और उचित मामलों में, न्याय की गंभीर या गंभीर विफलता को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन, ऐसा पाठ्यक्रम केवल प्रकट अवैधता के दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही अपनाया जाता है।संक्षेप में कहें तो यह नियमित अपील का विषय नहीं है।यह न्यायालय साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही इन अपीलों का दायरा है कि यह न्यायालय साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन में प्रवेश करेगा ताकि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दृष्टिकोण उससे भिन्न है।"

21. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, मृतक एक कृषक था और 14.03.2006 पर, पीडब्लू-1 और अपीलार्थी के बीच झगड़े के दौरान, पीडब्लू-1 ने अपीलार्थी को छड़ी से पीटा। इसके बाद, अपीलार्थी ने अमरावती पुलिस स्टेशन में पीडब्लू-1 के खिलाफ एक रिपोर्ट दी और इसे आईपीसी की धारा 324 और 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 2006 के अपराध संख्या 35 के रूप में दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने पीडब्लू-1 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और यह लंबित है।उस संबंध में, अपीलार्थी ने अपने घुटने के इलाज के लिए पीडब्लू-1 से पैसे की मांग की, जिस पर मृतक और पीडब्लू-1 दोनों भुगतान के लिए सहमत हो गए, लेकिन बाद की तारीख में, मृतक के साथ-साथ पीडब्लू-1 ने अपीलार्थी को भुगतान करने से इनकार कर दिया।उपचार प्राप्त करने में असमर्थता के कारण, अपीलार्थी श्रम कार्य से अयोग्य हो गया और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी में पीडब्लू-1 और उसके पिता

(मृत) के खिलाफ दुर्भावना विकसित हुई।इसके बाद, मृतक को 06.09.2006 पर पीडब्लू-3 की तंबाकू की दुकान की ओर आते हुए देखकर, अपीलार्थी ने उसकी छाती और पेट पर चाकू मार दिया जिससे उसे गंभीर चोटें आईं जिससे अंततः मृतक की मौत हो गई।

22. अपीलार्थी द्वारा उठाए गए तर्क अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के संबंध में कमजोर पक्ष पर हैं क्योंकि यह तर्क दिया गया है कि पीडब्लू-1 से पीडब्लू-4 तेलुगु देशम पार्टी के समर्थक हैं और उनके साक्ष्य मृतक को लगी चोटों की प्रकृति, घटना स्थल आदि के संबंध में विरोधाभासी थे। आपराधिक मुकदमे में एक गवाह की गवाही को केवल मामूली विरोधाभासों या चूक के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है जैसा कि इस न्यायालय ने नारायण में कहा है।

चेतनराम चौधरी और अन्र। बनाम महाराष्ट्र राज्य **5,** जिसमें गवाही में विरोधाभासों के मुद्दे पर विचार करते हुए, आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य की सराहना करते हुए, यह माना गया कि केवल भौतिक विवरणों में विरोधाभास और मामूली विरोधाभास गवाहों की गवाही को बदनाम करने का आधार हो सकते हैं।फैसले के पैराग्राफ 42 में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः-

"42. केवल ऐसी चूक जो भौतिक विवरणों में विरोधाभास है, का उपयोग गवाह की गवाही को बदनाम करने के लिए किया जा सकता है।पुलिस के बयान में चूक अपने आप में गवाह की गवाही को अविश्वसनीय नहीं बनाएगी।

5 (2000) 8 एससीसी 457 ए

जब न्यायालय में गवाह द्वारा दिया गया बयान उसके पहले के बयानों में बताए गए भौतिक विवरणों से अलग होता है, तो अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है और अन्यथा नहीं। सच्चे गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास दिखाई देने के लिए बाध्य हैं क्योंकि स्मृति कभी-कभी गलत होती है और अवलोकन की भावना व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है।यदि पहले के कथन में चूक तुच्छ विवरणों की पाई जाती है, जैसा कि वर्तमान मामले में पाया जाता है, तो इससे अभि. साक्षी 2 की गवाही में कोई कमी नहीं आएगी।भले ही किसी भी भौतिक बिंदु पर किसी गवाह के बयान का विरोधाभास हो, लेकिन ऐसे गवाह की पूरी गवाही को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।"

23. इसी विचार को इस न्यायालय द्वारा राज्य बनाम रमेश 6 में व्यक्त की गई सहमति वाली राय में दोहराया गया है।

24. वर्तमान मामले में तथ्यों और साक्ष्य का विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों द्वारा पूरी तरह से विश्लेषण किया गया है और इसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

आई. अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी के अपराध को साबित करने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

ii.जब चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्ट पर्याप्त नेत्र साक्ष्य होता है, तो अपीलार्थी से हथियार की केवल गैर-प्राप्ति अभियोजन पक्ष के मामले को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करेगी।

iii.यदि किसी चश्मदीद गवाह की गवाही अन्यथा भरोसेमंद और विश्वसनीय पाई जाती है, तो उसे केवल इसलिए अस्वीकार और अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसकी गवाही में कुछ महत्वहीन, सामान्य या प्राकृतिक विरोधाभास सामने आए हैं।

iv.अपीलार्थी द्वारा मृतक पर दिन के उजाले में हमला किया गया है और इसे साबित करने के लिए प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध हैं और हमले के पीछे का मकसद भी स्पष्ट है क्योंकि अपीलार्थी और पीडब्लू-1 के बीच पिछली दुश्मनी थी।

25. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों को ऊपर उल्लिखित निर्णयों के साथ जोड़कर और प्रशंसा पर विचार करना।

6 (2011) 4 एस. सी. सी. 786

प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य सामग्री, विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने में सही थे। इसलिए, हम विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं।

26. नतीजतन, याचिका खारिज कर दी जाती है।

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।